



206

न्यायालय दाजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ब्वालियर

R 4557-I-16

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2015 जिला जबलपुर

फूलसिंह गोड उम्म 83 वर्ष पिता श्री युसूफ गोड
लिवासी गाम पौंडी गाम पंचायत धरहर, जनपद पंचायत,
पनागर तहसील पनागर जिला जबलपुर

— आवेदक

विरुद्ध

श्री भगवानदास रजक उम्म 44 वर्ष पिता
श्री लक्खू रजक, लिवासी मकान नं. 23,
गाम रिठोरी, तहसील पनागर
जिला जबलपुर
म030 शासन घर
कलेक्टर, जिला जबलपुर

— अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 111/अ-21/2014-54 में पारित आदेश
दिनांक 04-11-16 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत
निगरानी।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

- यहांकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश, अनुचित एवं विधि के उपर्यांतों के प्रतिकूल होने से अपार्ट किए जाने योग्य है।
- यहांकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की गाम रिठोरी नं.ब. 417 प.ह.नं. 47 स.लि.मं. महाराजपुर तहसील पनागर जिला जबलपुर में भूमि खसरा नं. 116, 126, 127, 136 एकड़ा कमश्त + 0.420, 0.230, 0.110 एवं 0.070 हेक्टर कुल 0.830 हेक्टर स्थित है। उक्त भूमि के अतिरिक्त आवेदक के नाम से गाम पौंडी प.ह.नं. 35 पनागर में 14.25 एकड़ भूमि शेष बचती है। शेष बची हुई भूमि को उन्नत बनाने आदि के लिए आवेदक ने गाम रिठोरी की भूमि को विक्रय करना उचित समझा और केता अनावेदक क्रमांक 1 से विक्रय अनुबंध कर ब्याना प्राप्त कर लिया है, ऐसी स्थिति में उसे विक्रय की अनुमति दी जाये। किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थिति पर विधिवत विचार किए बिना ही जो आदेश पारित किया है, वह अपार्ट किये जाने योग्य है।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ब्यालियर

प्रकरण क्रमांक - 4257-एक/16

ज़िला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	प्रबन्धालय एवं अधिकारी आदि के हस्ताक्षर
२३.१२.१६	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह अपील कमिशनर, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 111/अ-21/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 04-11-2016 से व्यवित होकर म०प्र०० भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- आवेदक के विवृन अधिवक्ता एवं अनावेदक शासन के विवृन अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्राप्त हुआ है। जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम रिहैरी नं. बं. 417 प.ह.नं. 47 रा.नि.मं. महाराजपुर तहसील पनागर जिला जबलपुर में भूमि खसरा नं. 116, 126, 127, 136 रक्षा क्रमांक : 0.420, 0.230, 0.110 एवं 0.070 हैक्टर कुल 0.830 हैक्टर को अनावेदक क्रमांक 1 गैर आदिवासी को विक्रय किए जाने की अनुमति देने का अनुशोध किया गया है। उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा गया। जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के</p>	

(Signature)

(W)

R. 4257. ५/६ (राज्य) फूलसिंह गोड विलङ्घ भगवानदास रजक आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदनों में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि आवेदक द्वारा कर्य की गई है। कलेक्टर ने मुख्य रूप से आवेदक को इस आधार पर प्रस्तावित भूमि विक्रय की अनुमति देने से इकार किया है कि भूमि निवेश की वस्तु होती है जिसकी कीमतें भविष्य में तेजी से बढ़ने की संभावना है। यह भी आधार लिया गया है कि वर्ष 2015 में आवेदक का नाम आवेदित भूमि पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया है और वर्ष 2015 में ही भूमि विक्रय किए जाने का अनुबंध किया गया है। कलेक्टर का भूमि की कीमत भविष्य में बढ़ने संबंधी उक्त निष्कर्ष अपने स्थान पर उचित हो सकता है किंतु व्यायिक एवं विधिक दृष्टि से उनका निष्कर्ष सही नहीं है क्योंकि संहिता में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि भविष्य में उसकी कीमत बढ़ने की संभावना हो तो उसके विक्रय की अनुमति नहीं दी जा सकती तथा भूमि पर नाम दर्ज होने के उपरांत तत्काल बाद भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकता। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि था आवेदक को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। कलेक्टर ने उक्त तथ्यों को अनदेखा किया है। दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिन आधारों पर कलेक्टर ने आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति देने से इकार किया हैं, वे आधार व्यायसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं हैं इस कारण कलेक्टर, जबलपुर का आलोच्य आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता। परिणामतः यह कलेक्टर, जबलपुर द्वारा</p>	

फूलसिंह गोड विरुद्ध भगवानदास रजक आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्थ मण्डल, मध्यप्रदेश, ब्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निम्न 0 4257-एक/16

जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>पारित आलोच्य आदेश दिनांक 04-11-16 निरस्त किया जाता है एवं यह निगरानी स्थीकार करते हुए आवेदक को उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम रिंगरी नं.बं. 417 प.ह.नं. 47 रा.नि.मं. महाराजपुर तहसील पनागर जिला जबलपुर में भूमि खसदा नं. 116, 126, 127, 136 रक्का क्रमांक 0.420, 0.230, 0.110 एवं 0.070 हैक्टर कुल 0.830 हैक्टर को गैर आदिवासी को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-</p> <p>1- यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।</p> <p>2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की दाशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अधिक दाशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।</p> <p>पक्षकार सूचित हों ।</p> <p><i>[Signature]</i> (एम०क०० सिंह) सदस्य, राजस्थ मण्डल, मध्यप्रदेश ब्वालियर</p> <p><i>[Signature]</i></p>	